कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

विविध आदेश

क्रमांक 63 /दो–12–2/09 उमरिया, दिनांक 02.07.2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी उमरिया का आदेश क्रमांक 1955/आर.डी.एम./2021 उमरिया दिनांक 16.06.2021 एवं क्रमांक 2072/आर.डी. एम./2021 उमरिया दिनांक 26.06.2021 के अनुसार उमरिया जिले में कोविड–19 महामारी का संक्रमण वर्तमान समय में नियंत्रित होकर आवश्यक गतिविधियों का संचालन प्रारंभ हो गया है, अतः कलेक्टर उमरिया के उक्त आदेश तथा कोविड–19 समिति, जिला न्यायालय उमरिया एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, उमरिया तथा न्यायाधीशगण के साथ ली गई बैठक उपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के एसओपी (Standard Operative Procedure) क्रमांक ए/113 जबलपुर दिनांक 15.01.2021 एवं अतिरिक्त एसओपी (Additional Standard Operative Procedure) क्रमांक ए/149 जबलपुर दिनांक 03.04.2021 एवं अतिरिक्त एसओपी (Additional Standard Operative Procedure) दिनांक 20.04.2021 तथा अतिरिक्त एसओपी (Additional Standard Operative Procedure) क्रमांक ए/2003, दिनांक 02.07.2021 के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार न्यायालय नियमित रूप से संचालित किये जाते हैं, जो दिनांक 05.07.2021 से प्रभावशील होगा :–

1. समस्त प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई न्यायालयों के द्वारा की जावेगी, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरण (सिविल एवं आपराधिक दोनों) एवं विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले तथा ऐसे प्रकरण जिसमें मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय सीमा में निराकरण हेतु निर्देश दिये गये हो (सिविल एवं आपराधिक दोनों), किशोर न्याय बोर्ड संबंधी मामले, पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले, अपील/रिवीजन (सिविल एवं आपराधिक दोनो), मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले को प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. नियम एवं आदेश में निर्दिष्ट न्यायालयों के टाईम टेबल अनुसार हमेशा की तरह न्यायालय का कामकाज संचालित किया जावेगा।
3. पूर्व में जारी कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 37/दो–12–2/09 उमरिया दिनांक 09.04.2021 अपास्त किया जाता है ।
4. वर्तमान में कोविड–19 के प्रभाव की गंभीरता को देखते हुए नियमित भौतिक सुनवाई तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग दोनों के माध्यम से सुनवाई की जाएगी।
5. पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दिवस सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरणों की कॉजलिस्ट अपने न्यायालय के बाहर स्थापित नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर, कॉज लिस्ट के क्रमानुसार प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
6. पूर्व में जारी वारण्ट दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावी रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
7. अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण की उपस्थिति के संबंध में आदेश पत्रिका में उल्लेख किया जावेगा, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते

हुए अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण के आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर, जहाँ कानून के अनुसार अनिवार्य हो, को छोड़कर, नहीं लिये जावेंगे।

8. न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति विशेष कारण से निर्देशित किये जाने पर आवश्यक होगी अन्यथा वीडियो कांफ्रेसिंग या हाजरी माफी आवेदन के माध्यम से उपस्थिति स्वीकार की जावेगी । विचाराधीन बंदी के मामले में प्रकरण में प्रथम रिमाण्ड के दौरान न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होगी तथा आगामी रिमाण्ड वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम की जावेगी।

9. समस्त न्यायिक अधिकारी समन जारी करने की सामान्य प्रक्रिया के अलावा सी.आई.एस. 3.2 सॉफ्टवेयर में दी गई सुविधा का उपयोग करके मैसेज के माध्यम से संमंस की सर्विस का उपयोग करेंगे, जो संमंस की सेवा को सुविधाजनक बनाने के क्रम के लिए प्रदान किया गया है।

10. जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं कर्मचारियों के प्रवेश एवं निकास के लिए समस्त ऐहतियाती उपाय किये जावेंगे और न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में सीमित भीड़भाड़ के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

11. न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं कर्मचारी जो क्वारेंटाईन/आइसोलेट हो, उनका न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।

12. न्यायालय परिसर के अंदर शराब, पान, गुटखा या तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी उपरोक्त कार्यो में लिप्त पाया जाता है तो वह केन्द्र/राज्य सरकार के कानून/दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियोजन/दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

13. न्यायालय परिसर में आने वाले न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं कर्मचारी फेस मास्क अथवा फेस कव्हर पहनेगे, मुँह एवं नाक को कव्हर रखेगे (साक्ष्य लेते समय एवं तर्क के समय सहित)। प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग और बार एशोसिएशन के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उचित फेस मास्क पहने बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश/उपस्थित नहीं होगा।

14. न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रवेश के सभी द्वार में थर्मल स्केनर सहित मेडिकल से संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहेगा, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की उचित जाँच सुनिश्चित करेगा।

15. बुखार और फ्लू या इन जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी स्टॉफ सदस्य को बुखार/फ्लू के लक्षण पाये जावे तो तुरंत इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी/कार्यालय में देंगे।

16. यदि किसी अधिवक्ता में बुखार या फ्लू के लक्षण पाये जाते हैं तो तत्काल बार एशोसिएशन के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को सूचित किया जावे।

17. किसी न्यायालय का कामकाज वहाँ निलंबित रहेगा, जहाँ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कर्फ्यू/लॉकडाउन/कंटेन्मेन्ट क्षेत्र घोषित किया गया हो। ऐसे न्यायालय के द्वारा अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई मान्नीय उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए की जावेगी।

18. केवल ऐसे पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जावेगी, जहाँ मामलों को अधिसूचित और सूचीबद्ध किया गया हो। प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार कर्मचारी को पदस्थ करेंगे, जो कि प्रवेश द्वार में उन्ही अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा जिनके उस निश्चित दिनांक में प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय के समक्ष होनी है ।

19. समस्त सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन में बार रूम, अधिवक्ताओं के चेम्बर, बार लाइब्रेरी खुले रहेंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा मानदण्डो का पालन एवं साफ–सफाई के साथ साथ बार रूम में भीड़भाड़ रोकने के लिए बार रूम में सीमित प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

20. पूरे परिसर अर्थात न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारी के चेम्बर, कार्यालय, शौचालय एवं सामान्य उपयोग वाले स्थान का समुचित साफ–सफाई प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। मुख्य द्वार, शौचालय और न्यायालय गलियारे में हैण्ड वॉस और सेनिटाइजर रखे जावेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी व्यक्ति, न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धुले या हाथ सेनिटाइज करे बिना प्रवेश न करें ।

21. सेनिटाइजर के अतिरिक्त उचित मात्रा में वॉस बेसिन प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग स्थापित करवाये ताकि विजिटर्स/ अधिवक्ता/कर्मचारी न्यायालय परिसर में प्रवेश के पूर्व अपने हाथ उचित रूप से साफ कर सके।

22. न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति उन अधिवक्ताओं/पक्षकारों को दी जायेगी, जिनके मामले को सुनवाई के लिए पुकार लगायी गई है। शेष अधिवक्ता न्यायालय कक्ष के बाहर निर्धारित जगह में अपनी बारी का इंतजार करेगे, जिससे सामाजिक दूरी के मापदण्डों का पालन हो सके ।

23. समस्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों, कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के द्वारा न्यायालय परिसर अथवा न्यायालय कक्षों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जावेगी। किसी भी स्थिति में एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति (अधिवक्ता/साक्षी/पक्षकार/अभियुक्त) (स्थान उपलब्ध होने के आधार पर) की अनुमति न्यायालय कक्ष में नहीं होगी। न्यायालय कक्ष में उपलब्ध स्थान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय कक्ष में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की संख्या पीठासीन अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। प्रकरणों की सुनवाई क्रमानुसार अर्थात एक के बाद एक की जावेगी और नये प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट का ब्रेक समुचित सफाई (सेनिटाईजेशन) के लिए दिया जावेगा।

24. सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के हाल में कुर्सी/बेंच को सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थित किया जावे। न्यायालय एवं कार्यालय के कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था भी सामाजिक दूरी के मानदण्डों के अनुरूप किया जावे।

25. किसी भी परिस्थिति में न्यायालय हाल अथवा न्यायालय बारंडा/आम मार्ग/कॉरीडोर अथवा न्यायालय परिसर में भीड़भाड़ नहीं होंगे। किसी भी रूप में समूह/मण्डली को रोका जावे।

26. समस्त हितधारको की सुविधा एवं सूचना के लिए डिस्प्ले बोर्ड क्रियाशील रहेंगे एवं कॉज लिस्ट प्रदर्शित होंगे।

27. न्यायालय द्वारा जारी आदेश/निर्णय और प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि को संबंधित जिले के वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जावेगा।

28. अधिवक्तागण प्रकरण संबंधी अपनी फाईल अपने साथ ले जायेंगे और एक बार मामला खत्म हो जाने पर अधिवक्ता/पक्षकार तुरंत न्यायालय कक्ष के बाहर चले जायेंगे।

29. न्यायालय परिसर के अंदर किसी कार्यक्रम अथवा किसी अन्य समारोह की अनुमति नहीं होगी ।

30. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए समय–समय पर जारी किये गये सभी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा ।

31. यदि कोई अधिवक्ता या पक्षकार उपरोक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता तो उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के साथ–साथ बार काउन्सिल ऑफ मध्यप्रदेश एवं संबंधित बार एशोसिएशन को सूचित किया जावेगा।

उक्त आदेश दिनांक 05.07.2021 से प्रभावशील होगा।

sd—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. 1041 /दो–12–2/09 उमरिया, दिनांक 02.07.2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया
3. पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय, जिला उमरिया
4. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय उमरिया
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया
6. कोविड प्रोटोकॉल अधिकारी, उमरिया
7. कोविड अनुपालन अधिकारी, उमरिया

8. कलेक्टर, जिला उमरिया
9. पुलिस अधीक्षक, उमरिया
10. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ उमरिया/बिरसिंहपुर पाली/मानपुर
11. लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक, उमरिया
12. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
13. जेल अधीक्षक, जिला जेल उमरिया
14. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उमरिया
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उमरिया
17. प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया
18. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
19. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/आई.टी.असिस्टेन्ट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय उमरिया

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02.07.2021

for प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)